जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

सी.एल.आर.सी. पर डिस्कॉम का स्पष्ट मत

पूर्व में सी.एल.आर.सी. पर किये जा रहे सभी कार्य नए वार्षिक दर संविदा पर भी कराये जाते रहेंगें

जयपुर, 03 सितम्बर। जयपुर डिस्कॉम में वर्तमान में प्रचलित सी.एल.आर.सी के बारें में कुछ कार्यरत संवेदकों के भ्रम को दूर करते हुये स्पष्ट किया है कि पूर्व में सी.एल.आर.सी. पर किये जा रहे सभी कार्य इस माह में निर्णीत होने वाली वार्षिक (श्रम) दर संविदा (ARC) पर पूर्ववत ही कराए जाते रहेंगे और संवेदको का यह भ्रम कि सी.एल.आर.सी बंद की रही है, यह तथ्य से परे है।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री ए.के गुप्ता ने बताया कि राज्य के विद्युत वितरण निगमों में विभिन्न प्रकार के विद्युत लाईन, सब–स्टेशन के निर्माण, कनेक्शन, परिचालन व संधारण के कार्य कराए जाने हेतु विभागीय पद्धति के अतिरिक्त संविदा/वार्षिक (श्रम) दर संविदा पर कराये जाने का प्रचलन है। इसके साथ ही रोजमर्रा के कार्य एवं आपात स्थिति में अन्य कार्य भी सेन्ट्रल लेबर रेट कॉन्ट्रेक्ट (सी.एल.आर.सी.) पर कराए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया है कि सी.एल.आर.सी. जो अभी प्रचलित है, उसकी अवधि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त हो रही है, उससे पहले नए वार्षिक (श्रम) दर संविदा फाइनल किये जाने की दिशा में नियमानुसार निविदाएं आमंत्रित कर ली गई है, जो 15 सितम्बर, 2019 तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है। संविदा में भाग लेने की अहर्ताए व शर्ते पूर्ववत ही रखी गई है। नई वार्षिक (श्रम) दर संविदा के अन्तर्गत सभी मद व कार्य कराये जाने का प्रावधान पूर्ववत ही है। इसके तहत् LT, 11 केवी, 33 केवी की लाईनों का निर्माण व रखरखाव, LT केबल, AB केबल, 11 केवी केबल, 33 केवी केबल का डालना या बदलना, 'डिपोजिट कार्य', कृषि व अन्य नए कनेक्शन के लिये लाईने एवं सब–स्टेशन के निर्माण का कार्य, मीटर लगाने व बदलने का कार्य, कैपेसिटर लगाने का कार्य, लाईनों के बीच में पोल लगाने का कार्य, टूटी हुई लाईन व पोल बदलने का कार्य, डिस्ट्रीब्यूशन व पावर ट्रांसफार्मर बदलने का कार्य, लोडिंग/अनलोडिंग, निर्माण, परिवहन, वाहनों को किराये पर रखने का कार्य, जो भी पूर्व में थे, सभी शामिल है।

श्री गुप्ता ने बताया है कि 33 केवी सब–स्टेशन व 33 केवी की लाईनों का निर्माण जैसे बडे कार्य प्रायः भारत सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाते हैं। इनको उनकी शर्तों के अनुसार टर्न– की पर कराये जाने हेतु अलग से निविदा आमंत्रित की गई है। इसी प्रकार 33 केवी सब–स्टेशन के परिचालन व संधारण के लिये पृथक निविदा इस प्रकार आमंत्रित की गई है जो खण्ड स्तर पर है, कि अधिक से अधिक निविदाकारों को ये कार्य दिया जा सके, इसके लिए 15 से 34 सब–स्टेशनों के लॉट बनाये गये है। किसी भी एक सफल निविदाकार को 2 से अधिक लॉट आवंटित नहीं होंगे। इस प्रकार सभी सफल संवेदकों को लगभग समान कार्य हेतु ठेके दिये जा सकेंगे। सभी निविदाए ई–टेन्डरिंग के द्वारा आमंत्रित की गयी है।

पूर्व में कार्य कर रहे कुछ संवेदकों ने भ्रांतिवश अचानक कार्य से अपने श्रमिक हटाने के लिए दिए गये ज्ञापन के सम्बन्ध में जे.वी.वी.एन.एल. के निदेशक (तकनीकी) एवं मुख्य अभियंताओं के साथ संविदाकारों/संवेदकों व उनके प्रतिनिधियों से 2 सितम्बर, 2019 को वार्ता करके स्थिति स्पष्ट की गई है। विद्युत निगम ने अपने सभी सहयोगी संवेदकों से आग्रह किया है कि वे कार्य का बहिष्कार नही करें और पूर्ववत अनुबन्ध के आधार पर सेवायें व सहयोग जारी रखें।

———————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 909/2019